

मुझे सरकारी प्रतिभूतियों में क्यों निवेश करना चाहिए?

इस समय निश्चित आय की प्रतिभूतियों के रिटेल निवेशकों के पास निवेश के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं।

विकल्प	नकदीकरण	सुरक्षा	आय	कर प्रसंग
कंपनी जमा	नहीं	कम से मध्यम	वरयता के अनुसार अधि १०%	₹. २५००/- से अधिक आय क लिए टीडीएस
पेस्ट ऑफिस/ मासिक आय योजना/ एनएससी	कम	ऊँची	८% प्र.व.	टीडीएस नहीं (धारा ८० एल के अंतर्गत लाभ)
पीपीएफ	नहीं	ऊँची	८% प्र.व.	कर-मुक्त
आरबीआई रिलीफ बॉण्ड्स	कम	ऊँची	८% प्र.व.	कर-योग्य
कर-मुक्त बॉण्ड्स	नहीं	ऊँची	६.५% प्र.व.	कर-मुक्त
बैंक डिपॉजिट	मध्यम से ऊँची	मध्यम से ऊँची	६% (अवधि के अनुसार)	₹. ५०००/- से अधिक आय पर टीडीएस (धारा ८० एल के अंतर्गत लाभ)
सरकारी प्रतिभूतियाँ	ऊँची	उच्चतम	२० वर्ष के लिए ६.५०% (तकरीबन)	टीडीएस नहीं (धारा ८० एल के अंतर्गत ₹. ३००० अतिरिक्त)

निम्नलिखित कारणों से निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है

- निवेश के लिए अच्छा मार्ग
- उच्चतम सुरक्षा
- हर छह महीने में आय का नियमित स्रोत
- यदि रिडेम्पशन तक धारण किया जाय तो परिपक्वता पर सुनिश्चित आय
- टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स नहीं
- आयकर कानून की धारा ८० एल के अंतर्गत ₹. ३०००/- का अतिरिक्त आयकर लाभ
- जोखिम का दिशांतरण
- विनिमय के माध्यम से नकदीकरण

हम १२% जीओआई २००८ का ही उदाहरण लें. १ जून २००२ को इसका खरीद मूल्य ₹. १२२.५२ (मूल्य प्रति ₹. १०० के अनुसार) है. यदि उपरोक्त प्रतिभूति का धारक निवेशक इसे १४ जनवरी २००३ को बेचता है तो उसे ₹. १३०.२८ का बिक्री मूल्य प्राप्त होगा जो १८.०६% का वार्षिकीकृत लाभ है. अंकित मूल्य पर १२% की दर से निवेशक को प्राप्त होने वाला अर्धवार्षिक ब्याज इसके अतिरिक्त है.

अब यदि निवेशक अन्य वैकल्पिक साधनों में थोक पैसा निवेश करता है जैसा ऊपर दर्शाया गया है तो वह ७-९% के बीच कम लाभ प्राप्त करेगा.

दूसरे, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से आसान प्रवेश और बहिर्गमन के रास्तों का अतिरिक्त लाभ मिलता है जिससे अन्य स्थायी आय के निवेशों की तुलना में निवेशक को नकदीकरण की ज्यादा सुविधा मिलती है. इसमें धारक के लिए लॉक इन की विभिन्न अवधियाँ होती हैं और यदि परिपक्वता तक धारण किया जाय तो ये ज्यादा लाभदायी होती हैं.

सरकारी प्रतिभूतियाँ रिटेल निवेशकों को उपलब्ध कराने का महत्व

- सरकार के लिए दीर्घकालीन पूँजी खड़ी करने का किफायती साधन
- रिटेल निवेशकों के लिए दीर्घकालीन निवेश हेतु प्रभावी व सुलभ साधन प्रदान करता है
- निवेशकों के विभिन्न वर्गों के लिए एक स्थिर डेब्ट मार्केट विकसित करना

- निवेश शैली और गहराई का व्यापक आधार तैयार करना
- प्राइमरी और सेंकडरी बाजार में प्रभावी मूल्य निर्धारण प्रणाली प्रदान करता है जिससे वर्तमान प्रणाली सुदृढ़ होती है.
- जोखिम का दिशांतरण
- निवेशकों के लिए मध्यस्थता की कम कीमत

एनएसई के माध्यम से रिटेलिंग के लाभ

- एनएसई ट्रेडिंग नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र-व्यापी पहुँच, जिसमें ३८० शहरों में ८०० से ज्यादा सक्रिय ब्रोकर हैं.
- ८ वर्षों से स्क्रीन आधारित, रिटेल निवेशकों के लिए परिचित गुप्त ऑर्डर संचालित तंत्र
- प्राइस-टाइम प्राथमिकता के उपयुक्त और पारदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ट्रेड मैचिंग
- उसकी प्रतिभूति में खरीद और बिक्री विनिमय की इंद्रा-डे-नेटिंग (सिर्फ शुद्ध बकाया स्थितियों का निपटारा)
- रोलिंग आधार (टी+२ दिन) पर वादों का निपटारा
- एनएससीसीएल (एनएसई का पूर्णतः उपसंस्थान) के माध्यम से वादों का निपटारा जो एक पृथक गारंटी राशि के माध्यम से वित्तीय निपटारे की गारंटी प्रदान करता है.
- सिर्फ डिपॉजिटरी के माध्यम से डिमटीरियलाइज्ड स्वरूप में प्रतिभूतियों का निपटारा

रिटेलिंग की विशेषताएँ

१. रिटेल डेब्ट मार्केट का अनेक पहलुओं से विस्तार होगा क्योंकि प्रतिभूतियाँ व्यापक रूप से वितरित होती हैं.
२. एनएसई का अज्ञात स्क्रीन आधारित ऑर्डर संचालित तंत्र सरकारी प्रतिभूतियों के विनिमय में पारदर्शिता और नकदीकरण की क्षमता लाएगा
३. व्यापक सहभाग के कारण प्रभावी मूल्य निर्धारण
४. जनता को निवेश की सुविधा देने के लिए जोखिम और आय स्रोत का दिशांतरण.



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

“एक्सचेंज प्लाजा”, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. भारत
फोन: 91-22-2659 8100-8114 • 91-22-26598120
वेबसाइट: www.nseindia.com

मई 2003

रिटेल डेब्ट मार्केट



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया लिमिटेड

रिटेल डेब्ट मार्केट

एनएसई ने एक ट्रेडिंग सुविधा पेश की है जिसके माध्यम से रिटेल निवेशक देश में विभिन्न स्थानों से पंजीकृत एनएसई ब्रोकरों व सबब्रोकरों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जिस प्रकार वे इक्विटीयों खरीदते और बेचते रहे हैं. इस बाजार को एनएसई के "रिटेल डेब्ट मार्केट" के रूप में जाना जाता है.

सरकारी प्रतिभूतियाँ: सरकारी प्रतिभूतियाँ भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र होते हैं और इन्हें जी-सेक. या गिल्ट्स के नाम से जाना जाता है. सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार का सीधा अनुग्रह पत्र होती है और उन्हें सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है. इसे श्रेष्ठ ऋण (सॉवरेन डेब्ट) भी कहा जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार ब्याज की नियमित अदायगी और मूलधन का पुनर्भुगतान करने का भरोसा दिलाती है. एक बार जारी कर दिए जाने के बाद सेकंडरी मार्केट में इनका विनिमय होता है. सरकारी प्रतिभूतियों का अधिकतर विनिमय इंटर-बैंक मार्केट में थोक आधार पर होता है. बाजार के प्रमुख सहभागी हैं बैंक और वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ, प्राइमरी डीलर्स, भविष्य निधियाँ, ट्रस्ट और व्यक्ति. इनमें से अधिकांश सहभागी अपनी वैधानिक आवश्यकताओं के कारण सरकारी प्रतिभूतियों में सक्रियता से विनिमय करते हैं.

जनवरी २००३ में एनएसई के रिटेल डेब्ट मार्केट का आरंभ होने से पहले रिटेल निवेशकों द्वारा विनिमय के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ उपलब्ध नहीं थीं.

रिटेल डेब्ट मार्केट में प्रतिभूतियाँ खरीदने/बेचने के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? प्रतिभूतियाँ खरीदने/बेचने के लिए निवेशकों को उसी एनएसई ब्रोकर से संपर्क करना चाहिए जिनके माध्यम से वे इक्विटीयों या डेरिवेटिव उत्पादों का कारोबार करते रहे हैं.

क्या मुझे ग्राहक के रूप में एनएसई ब्रोकर के पास फिर पंजीकरण करवाना होगा और इसकी औपचारिकताएं क्या हैं?

एनएसई ब्रोकर से पहले ही पंजीकरण करवा चुके सभी निवेशकों को किसी पंजीकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. ब्रोकर से हुआ वर्तमान पंजीकरण वैध होना चाहिए और रिटेल डेब्ट मार्केट में उपयोग किया जा सकता चाहिए.

मैं अपने एनएसई ब्रोकर को खरीदने/बेचने के निर्देश कैसे दूंगा?

ब्रोकर को सारे निर्देश उसी तरह से दिए जाते हैं जिस तरह से इक्विटी शेयर्स के विनिमय में होता है.

सरकारी प्रतिभूति का अंकित मूल्य क्या है ? न्यूनतम ऑर्डर साइज़ क्या है ?

सभी सरकारी प्रतिभूतियाँ रिटेल डेब्ट मार्केट में रु. १०० के अंकित मूल्य पर विनिमय के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. निवेशक को न्यूनतम १० यूनिट के लिए ऑर्डर देना होगा.

रिटेल डेब्ट मार्केट में मूल्य निर्धारण कैसे होता है ?

जब निवेशक कोई सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं तब यदि प्रतिभूति उनके कब्जे में छह महीने तक न भी रही हो तो उन्हें पूरे छह महीने का ब्याज अगली ब्याज की तारीख पर मिलता है.

इसी कारणवश खरीददार को खरीद की तारीख पर पिछली ब्याज अदायगी की तारीख से लेकर खरीद की तारीख तक का प्रतिभूति पर देय ब्याज अदा करना होता है. व्यवस्था में कोट में प्रवेश करते समय इस देय ब्याज को प्रतिभूति के मूल्य में जोड़ा जाता है. देय ब्याज सहित मूल्य को डर्टी प्राइस कहते हैं.

उदाहरण: ७.४६% जीओआई २०१७ को रु. ११२.५० के क्लीन प्राइस पर कोट किया गया है.

अंकित मूल्य = १०,००० (रु. १०० की १०० युनिटें)

ब्याज अदायगी तिथि = २८ अगस्त २००१

निपटारा दिनांक : ११ जनवरी २००२

देय ब्याज = (ब्याज दर) x

पिछली ब्याज भुगतान तिथि से कुल दिन/३६०

इस मामले में देय ब्याज होगा $\frac{७.४६ \times १०३३}{३६०} = २.७६$

(अं.मू. के प्रति रु. १०० पर)

डर्टी प्राइस = क्लीन प्राइस + देय ब्याज = ११२.५० + २.७६ = ११५.२६

निर्धारित राशि = डर्टी प्राइस x अंकित मूल्य/१०० = $\frac{११५.२६ \times १०,०००}{१००}$
= रु.११,५२६

मुझे ब्याज अदायगी की तिथि कैसे पता चलेगी?

सरकारी प्रतिभूतियों में छह महीने के निश्चित अंतराल पर ब्याज अदायगी होती है. ब्याज अदायगी की तिथि वेब-साइट और साथ ही ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी उपलब्ध कराई जाती है. ब्याज अदायगी तिथि से तीन दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक शट पीरियड की घोषणा करता है. एनएसई किसी प्रतिभूति के विनिमय की बख्स्तगी की घोषणा करता है जिसमें ब्याज की अदायगी बकाया है. उसी तरह से एनएसई को शट पीरियड के अंत में विनिमय के लिए प्रतिभूति के पुनः प्रवेश की घोषणा करनी होती है.

मुझे अपने लेन देन का निपटारा कैसे करना चाहिए? निपटारा चक्र क्या है?

रिटेल डेब्ट मार्केट में लेन-देन का निपटारा इक्विटीयों की तरह ही टी+२ (कार्य दिवसों) रोलिंग आधार पर होता है. इसलिए खरीदी विनिमय के मामले में ग्राहक को एनएसई ब्रोकर को इस तरह से अदायगी करनी चाहिए कि अदा राशि पे-इन डे से काफी पहले मिल जाय और फिर एनएसई ब्रोकर द्वारा पे-आउट के बाद ग्राहक के बेनिफिशियरी खाते में जमा करा दिया जाता है. इसी प्रकार बिक्री विनिमय की स्थिति में ग्राहक को कॉन्ट्रैक्ट नोट पाने पर तुरंत ही निर्धारित निपटारा दिनांक से काफी पहले एनएसई ब्रोकर के पूल खाते में डिलीवरी आउट निर्देश देना होता है और एनएसई ब्रोकर को पे-आउट के बाद ग्राहक को भुगतान करना होता है.

यदि मैं एनएसई ब्रोकर के माध्यम से अपनी खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को प्राप्त/अदा नहीं करता हूँ तो क्या होगा?

इक्विटी बाजार में डिलिवरिंग ब्रोकर अपना वादा पूरा करने में असफल रहता है तो निवेशक

प्रभावित नहीं होता, चूँकि एनएससीसीएल शुद्ध निपटारा बचत के लिए इस हेतु अलग से स्थापित सेटलमेंट गारंटी फंड के माध्यम से वित्तीय गारंटी प्रदान करता है.

शॉर्ट डिलीवरी के मामले में निपटारा नहीं हुए मामलों को नीलाम नहीं किया जाता लेकिन उन्हें सीधे ज़ीरो कुपन सील्ड कर्व (जेडसीवायसी) मूल्य निर्धारण राशि पर तथा संपूर्ण कीमत पर ५% जुमाने के साथ बंद किया जाता है.

क्षतिपूर्ति के रूप में खरीददार निम्नलिखित में से उच्चतम पाने के योग्य होता है :

- विनिमय दिनांक से क्लोज आउट दिनांक तक का उच्चतम विनिमय मूल्य
- ओवरनाइट एफआईएमएमडीए - एनएसई एमआईबीओआर की दर से गणना किए गए ब्याज का योग

क्या मैं जी-सेक में विनिमय के लिए अपने मौजूदा जमा खाते का उपयोग कर सकता हूँ ? सरकारी प्रतिभूतियाँ प्राप्त और अदा करने के लिए निवेशक डिपॉजिटरी सहित मौजूदा बेनिफिशियरी खाते का उपयोग कर सकते हैं.

मुझे हस्तगत प्रतिभूतियों के मामले में अगली ब्याज अदायगी तिथि तक का ब्याज कैसे मिलेगा?

अपने डिपॉजिटरी युक्त बेनिफिशियरी खाते में डिमटोरियालाइज़्ड स्वरूप में सरकारी प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले सभी निवेशकों को संबंधित डिपॉजिटरी से ब्याज अदायगी मिलेगी.

एनएसई के ब्रोकर और मेरे बीच उपजे विवाद के मामले में मुझे किससे मिलना चाहिए?

ब्रोकर ग्राहक समझौता प्रतिपादित करता है कि ब्रोकर व ग्राहक के बीच किसी भी विवाद की जानकारी विनिमय कार्यालय के आधार पर एनएसई के मुंबई कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों के निवेशक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दर्ज करायी जानी चाहिए जहाँ पर विनिमय संपन्न हुआ है. निवेशकों को कॉन्ट्रैक्ट नोट या क्रम/विक्रय नोट जैसे संबंधित दस्तावेजों सहित निर्धारित निवेशक शिकायत प्रारूप-1 में पेश करना होगा जो हमारी वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है.

एक्सचेंज ब्रोकरों और उनके ग्राहकों के बीच सुलह की प्रक्रिया चलाने में भी मदद करता है. ग्राहकों और ब्रोकरों के बीच के विवादों का निपटारा पंचायत के माध्यम से एक्सचेंज के उपनियमों के अनुसार होता है.

सरकारी प्रतिभूति पर क्या लाभ हैं?

सरकारी प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य होता है लेकिन उनका विनिमय एक मूल्य पर होता है. जब कोई निवेशक प्रतिभूतियाँ खरीता है तो वह उसका मौजूदा मूल्य चुकाता है जो अंकित मूल्य से अधिक या कम हो सकता है. निवेशक अपने द्वारा धारित प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर कूपन दर से ब्याज प्राप्त करेगा. उसी तरह से निवेशक को परिपक्वता दिनांक पर अंकित मूल्य मिलेगा न कि निवेश की गई राशि.

प्रतिभूति पर लाभ का निर्धारण यील्ड-टू-मैच्योरिटी (वायटीएम) द्वारा होता है और ब्याज दर से नहीं होता. निवेशक हमारी वेबसाइट www.nseindia.com पर जाकर यील्ड कैलकुलेटर के उपयोग से एनएसई ब्रोकर द्वारा जारी कॉन्ट्रैक्ट नोट में प्रदान की गई जानकारी से परिपक्वता पर लाभ का पता कर सकते हैं.